"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-01-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 239] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 29 सितम्बर 2006—आश्विन 7, शक 1928

समाज कल्याण विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 27 सितम्बर 2006

अधिसूचना

क्रमांक /एफ 1-26/2006/सक/26(1).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति तथा प्रस्तावित संशोधन के पूर्व प्रकाशन के साथ छत्तीसगढ़ के राज्यपाल एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ पंचायत एवं समाज सेवा (राजपत्रित) भर्ती नियम, 1998 में निम्नलिखित संशोधन करते है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में :—

1. अनुसूची-एक में :—
   "सरल क्रमांक 47 का लोप किया जाए."

2. अनुसूची-दो में :—
   "सरल क्रमांक 50 का लोप किया जाए."

3. अनुसूची-चार में :—
   सरल क्रमांक 9 के स्तम्भ क्रमांक (2) में शब्द व्याख्याता के स्थान पर "शिक्षक दृष्टि बाधित, शिक्षक श्रवण बाधित एवं एकीकृत शिक्षक स्थापित किया जाये."

"सरल क्रमांक 10 एवं 15" का लोप किया जाये.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमृता बेक, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 27 सितम्बर 2006

क्रमांक /एफ 1-26/2006/सक/26(1).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ पंचायत एवं समाज सेवा (राजपत्रित) भर्ती नियम, 1998 में संशोधन बाबत अधिसूचना का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमृता बेक, उप-सचिव.

Raipur, the 27th September 2006

NOTIFICATION

No. /F 1-26/2006/SW/26 (1).—In exercise of the powers conferred by Article 309 of the constitution of India with previous sanction of State Government and prior publication of proposed amendment the State of Chhattisgarh hereby makes the following amendments in Chhattisgarh Panchayat and Social Welfare (Gazette) recruitment rules, 1998 namely :—

AMENDMENT

In the schedules :—

1. In schedule I :—
   "Serial No. 47" shall be omitted.

2. In schedule II :—
   "Serial No. 50" shall be omitted.

3. In schedule IV :—
   In column No. 2 of Serial No. 9 in place of the words lecturer the words : "teacher for visually impaired, teacher for hearing impaired and integrated teacher" shall be substituted.

"Serial No. 10 and 15" shall be omitted.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh.
AMRITA BECK, Deputy Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2006.